


C.No 249/2019 अमरनाथ (मंदिर महोदय)

3/6/25 पत्रावली पेश हुई। बकील वादी एवं वादीगण अनुपस्थित  
हैं। बकील वादी एवं वादीगण को शाम 6.00 बजे तक  
बचक-रेलककर उधारवाज लगाई गई। किंतु वे  
अनुपस्थित रहे नाहि शक्या कोई प्रतिनिधि उपस्थित हुआ।  
अतः वादीगणका वाद पत्र जादेश 9 नियम 3 CPC के  
तहत डाकम हाजरी बैरकी खारिज किया जाता है।  
पत्रावली फंजाल सुगाह होकर गम्वल से कर ही।

  
उपखण्ड अधिकारी  
किशनगढ़